(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3280–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–9–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 8/अपील/2015–16.

.....

1–श्रीमती शांता पति ओमप्रकाश

निवासी ग्राम करनावद तहसील बागली जिला देवास

2–श्रीमती वन्दना पति हेमन्त द्विवेदी

निवासी ग्राम चापडा तहसील बागली जिला देवास

3–श्रीमती चन्दाबाई पति ललीतशंकर पंड्या

निवासी ग्राम सामलिया

तहसील सागवाडा जिला डोंगरपुर(राजस्थान)

4–जगदीश पिता नागेश्वर

5–सोमेश्वर पिता जगदीश

6–दिलीप पिता जगदीश

7–सिद्धेश्वर पिता जगदीश

कमांक 4 से 7 निवासी ग्राम गुराडिया कला

तहसील बागली जिला देवास

8–श्रीमती संगीता पति सुरेश

निवासी ग्राम सैलाना जिला रतलाम म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–प्रकाशचन्द्र पिता ओंकारलाल पालीवाल

निवासी अपोजिट वर्मा पेट्रोल पम्प

जलचक्की कांकरोली जिला राजसमंद राजस्थान

2–श्रीमती तिलोत्तम पति रमेश चन्द्र पालीवाल

निवासी रामपुरा, नाथद्वारा जिला राजसमंद राजस्थान

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0एस0तोमर , अभिभाषक– आवेदकगण

श्री एन0जी0 बाहेती, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपर तहसीलदार कनाडिया तहसील इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 82/अ–6/13–14 दिनांक 29–5–2015 को आदेश पारित कर ग्राम कनाड़िया स्थित भूमि सर्वे कमांक 44 रकबा 3.025 हेक्टेयर भूमि पर मृतक भूमि स्वामी पार्वतीबाई के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 8/अपील/2015–16 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–9–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदकगण की ओर से पूर्व में दिनांक 11–8–2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर पुनः आवेदन पत्र प्रमाणित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । इसके बावजूद आवेदन पत्र स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(3) आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निवेदन किया गया था कि सर्वप्रथम प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाये एवं दस्तावेज के खण्डन हेतु अवसर प्रदान किया जाये, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवसर प्रदान नहीं कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) अनावेदकगण का यह कथन उचित नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, इसलिये वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तीन बार स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा उपस्थित होकर पक्ष समर्थन नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिये आवश्यक थे इसलिये उन्हें अभिलेख पर लेने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में अपना पक्ष रख सकते हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किय जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पूर्व में अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया कि अनावेदकगण द्वारा दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जो कि साक्ष्य में

ग्राह्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि अनावेदकगण चाहे तो प्रमाणित दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । तद्नुसार अनावेदकगण द्वारा पुनः प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न जिन दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियॉ एवं नोटराईज प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है वे इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक होकर आवश्यक दस्तावेज हैं। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि संहिता की धारा 49 में दिनांक 30–12–2011 को संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है और वे प्रकरण का अंतिम निराकरण करेंगे एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त साक्ष्य लेंगे । अतः उक्त संशोधन के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में जहॉ पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, वहीं अपने विधिक दायित्व का निर्वहन किया गया है और उपरोक्त संशोधन के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क औचित्यहीन है । आवेदकगण का यह तर्क अभिलेख से परे है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को दस्तावेजों के खण्डन का अवसर प्रदान नहीं कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया गया, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत नहीं कर अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर